न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2012

अपीलांन्ट

1. अचला पुत्र नानाजी जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
2. मृतक तेजाराम पुत्र नानाजी के का0मु0

 2.1 झमु पत्नी तेजाराम

 2.2 वदुदेवी पत्नी नानाजी

 2.3 जितेन्द्र पुत्र तेजाराम

 2.4 सुरेश कुमार पुत्र तेजाराम जातिगण कलबी निवासीगण जीरावल
3. मगाराम पुत्र चेलाजी जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. दरजाराम पुत्र दरगा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
2. दीपा पुत्र प्रागा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
3. दरजा पुत्र प्रागा जाति कलबी निवासी जीरावल हाल वासन तहसील रेवदर
4. मरगा बेवा खीमा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
5. वाला पुत्र पाता जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
6. लवगा बेवा पाता जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
7. जुआरा पुत्र भूरा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
8. भला पुत्र भूरा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
9. नावी बेवा भूरा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
10. वजीया पुत्र रामा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
11. मफा पुत्र देवा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
12. अचला पुत्र भीमा जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
13. तनेसिंह पुत्र मोकनसिंह जाति राजपूत निवासी खोडी तहसील व जिला जैसलमेर हाल जीरावल तहसील रेवदर
14. सवाराम पुत्र धरमाजी जाति कलबी निवासी जीरावल तहसील रेवदर
15. डॉ0 उत्तमचंद पुत्र दीपचन्द जाति जीन कांतिसागर सुरी स्मारक ट्रस्ट, माण्डवला जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

16. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रेवदर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री दिनेश सुराणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 16 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 9-5-2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 87/2009 बअनवान अचला वगैरा बनाम दरजाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.01.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। दौराने वाद अपीलाण्ट तेजाराम की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात तेजाराम के का0मु0 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वाद ही खारिज कर दिया, जबकि जिस पक्षकार की मृत्यु हो चुकी हो, उसकी हद तक ही वाद एबेट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष देरी को कण्डोन करने हेतु समुचित कारण दर्शित किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया तथा जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट का सम्पूर्ण वाद ही खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तकनीकि आधार पर कभी भी वाद को खारिज नहीं किया जाना चाहिए तथा मेरीट पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का वाद ही खारिज कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट तेजाराम फौत होने पर उनके का0मु0 द्वारा विहित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। मृतक तेजाराम के चाचा, रिश्तेदार आदि प्रकरण में पक्षकार संयोजित थे, जिन्हे तेजाराम की मृत्यु होने की बखूबी जानकारी थी, इसके बावजूद अपीलाण्ट द्वारा निर्धारित समयावधि में का0मु0 को रेकर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो उचित नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.06.2011 को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट तेजाराम की मृत्यु होना जाहिर किया तथा का0मु0 को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। इसके पश्चात दिनांक 14.07.2011 को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 व 9 के तहत प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए वाद को खारिज किया है। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान दर्शित है, जिसमें यह प्रावधान दर्शित किया गया है कि आदेश 22 नियम 3 के अनुसार (1) जहां दो या अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी को या अकेले उत्तरजीवी वादियों को बेचा नही रहता है या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहॉ इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा। (2) जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है, वहॉ वाद का उपशमन वहॉ तक हो जाएगा, जहॉ तक मृत वादी का संबंध है और प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय उन खर्चो को उनके पक्ष में अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो उसने वाद की प्रतिरक्षा में उपगत किए हों और वे मृत वादी की सम्पदा से वसूल किऐ जाएंगे।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 तहत विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध परिसीमित समय की संगणना परिसीमा अधिनियम के खण्ड द्वितीय के भाग 1 के नियम 120 के तहत किया जाना आज्ञापक है, जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन पक्षकार बनवाने के लिये परिसीमित समय 90 दिवस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

नियत किया है, जिसकी संगणना यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की दिनांक से की जानी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 929 में यह प्रतिपादित किया कि ''सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – आदेश 22 नियम 3 वादी के विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन – अपीलाण्ट के पिता ने वाद पेश किया, किन्तु अपील के विचाराधीन होने के तथ्य से अपीलाण्ट अनभिज्ञ था – एडवोकेट के पत्र से अपीलाण्ट की जानकारी में तथ्य आया – कालबाधित होने से आवेदन खारिज किया गया तथा उपशमन अपास्त करने व विलम्ब माफ करने का अनुतोष नहीं चाहा–तकनीकी आपत्तियां रास्ते में नहीं आनी चाहिये – आदेश अपास्त किया तथा विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया। इसी प्रकार एस0सी0आर0 2010 (8) पेज 597 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि ''Code of Civil Procedure, 1908 – Order 22, rules 3 and 9; s. 151 read with s.5 of Limitation Act, 1963 – Death of appellant during pendency of appeal before Supreme Court – Application filed after long delay of 778 days for bringing the legal representatives of deceased appellant on record accompanied by application for condonation of delay – Held: Such applications cannot be allowed as a matter of right and even in a routine manner – They should be rejected unless sufficient cause is shown for condensation of delay – On facts, except for a vague averment that the legal representatives were not aware of the pendency of the appeal, no other justifiable reason was stated by the applicants – The applications also did not contain correct and true facts, thus, want of bona fides is imputable to the applicants – No reason nor sufficient cause was shown as to why immediate steps were not taken by the applicants, even after they admittedly came to know of the pendency of the appeal – The conduct of the applicants was abnormal – They acted irresponsibly and even with negligence, and miserably failed in showing any 'sufficient cause' for condensation of the long delay of 778 days – Applications accordingly dismissed – Resultantly, the appeal, having already abated, also dismissed.

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रामनाथ साआ एल्यास रामनाथ साओ एण्ड अदर्स बनाम गोवर्धन साओ एण्ड अदर्स (2002)3 एस.सी.सी. पेज 195 में यह अभिनिर्धारित किया है कि ''The expression "sufficient cause" within the meaning of Section 5 of the Act or Order 22 Rule 9 of the Code or any other similar provision should receive a liberal construction so as to advance substantial justice when no negligence or inaction or want of bona fide is imputable to a party. In a particular case whether explanation furnished would constitute "sufficient cause" or not will be dependent upon facts of each case. There cannot be a straitjacket formula for accepting or rejecting explanation furnished for the delay caused in taking steps. But one thing is clear that the courts should not proceed with the tendency of finding fault with the cause shown and reject the petition by a slipshod order in over

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

jubilation of disposal drive. Acceptance of explanation furnished should be the rule and refusal an exception more so when no negligence or inaction or want of bona fide can be imputed to the defaulting party. On the other hand, while considering the matter the courts should not lose sight of the fact that by not taking steps within the time prescribed a valuable right has accrued to the other party which should not be lightly defeated by condoning delay in a routine like manner. However, by taking a pedantic and hyper technical view of the matter the explanation furnished should not be rejected when stakes are high and/or arguable points of facts and law are involved in the case, causing enormous loss and irreparable injury to the party against whom the lis terminates either by default or inaction and defeating valuable right of such a party to have the decision on merit. While considering the matter, courts have to strike a balance between resultant effect of the order it is going to pass upon the parties either way." इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0 टी0 2014 (2) पेज 885 में यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय की गलती के लिये पक्षकार पीड़ित नहीं हो सकता–विचारण न्यायालय ने बहुत ही अधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया–निर्णीत, आवेदन स्वीकार किया और विधिक वारिशान को रेकार्ड पर लिया जावे।" विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय हित में पक्षकारों के अधिकार गुणावगुण के आधार पर तय किये जाएं। तकनीकी आधार पर किसी पक्षकार को अपने हक से वंचित नहीं कराया जा सकता। कानूनन विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार की मृत्यु होने पर प्रकरण में शामिल करने के लिए 90 दिन की अवधि प्राप्त है। इस अवधि में पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो वाद का उपशमन स्वतः हो जाता है। लेकिन उक्त प्रावधान बाध्यकारी प्रावधान नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक प्रावधान है, जिन्हे न्यायालय सन्तुष्ट होने पर प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए छूट दे सकता है तथा विलम्ब की अवधि को क्षमा कर सकता है। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि मात्र तकनीकी आपत्ति के आधार पर अपील को उपशमन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पक्षकारों को रिकार्ड पर लेने की अनुमति दी जानी चाहिये, जिससे पक्षकारों को पूर्ण न्याय मिल सके। तद्नुसार अपीलाण्ट संख्या 2 के का0मु0 को रेकर्ड पर लिया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर ही निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 87/2009 बअनवान अचला वगैरा बनाम दरजाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.01.2012 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार अपीलाण्ट संख्या 2 के का0मु0 को रेकर्ड पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

लेते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9-5-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-सिरोही